न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार , आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 283/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 30/2026, आरक्षी केन्द्र कल्याणपुर,
CNR : RJBA010008872026

सुरेश राणा पुत्र सोहनलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी भलारों का बाड़ा, पुलिस थाना समदडी, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2026, पुलिस थाना कल्याणपुर, अपराध अंतर्गत धारा 331(5), 190, 191(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3/25(1B)(a) आर्म्स एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री रामसिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में निराधार गिरफ्तार किया गया है । प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है ।

सहअभियुक्तगण राहुल, जीतू व चेलाराम उर्फ सिकीया के जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके हैं, प्रार्थी का मामला उनसे गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी दिनांक 09.05.2026 से अभिरक्षा में है एवं प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के घर में अनाधिकृत प्रवेश कर उसकी पुत्री का अपहरण का प्रयास करने के गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश राणा का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	कोर्ट निर्णय
1.	38/2020	147, 341, 323, 336, 149 भा.दं.सं.	समदडी	33/29.06.2020	पैण्डिंग कोर्ट
2.	180/2020	457, 380/34 भा.दं.सं.	राजीव गांधी नगर, जोधपुर	157/30.09.2020	पैण्डिंग कोर्ट
3.	147/2022	450, 394, 398, 323, 324, 120बी भा.दं.सं. व 4/25 आर्म्स एक्ट	–	86/22.11.2022	पैण्डिंग कोर्ट

5. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि दिनांक 01.04.2026 को सांयकाल 04.15 पर परिवादी के घर के बाहर दो स्कार्पियों गाड़ी रुकी, जिनसे 10–12 लोग जिनके मुंह ढके हुए थे जिनमें दिनेश, पोकरराम भी थे, ने परिवादी के घर में अनाधिकृत प्रवेश कर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने प्रयास करने लगे तब वहॉ उपस्थित महिलाओं ने बीच–बचाव कर छुड़वाया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी नामजद नहीं है, सहअभियुक्तगण राहुल, जीतू व चेलाराम उर्फ सिकीया के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके हैं, जिनसे प्रार्थी का मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी दिनांक 09.05.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । इन तमाम तथ्यों व परिस्थितियों को देखते

हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश राणा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO
Steno Gr. III "Authenticate document" Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO Date: 2026.06.05 07:50:28 +0530